निषेध एवं उत्पाद शुल्क उप-आयुक्त,

निज़ामाबाद खण्ड, निज़ामाबाद,

आंध्र प्रदेश व अन्य

बनाम

मैसर्स. बालाजी पशु आहार व अन्य

31 अगस्त, 2004

[एस.एन. वरियावा और अरिजीत पसायत, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 226- आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका- शीरा से भरा टैंकर जब्त कर लिया गया और दावेदारों के विरूद्व आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। दावेदारों के विरूद्व उच्च न्यायालय ने कार्यवाही अपास्त की और बरामदशुदा सामग्री को निर्मुक्त करने के आदेश प्रदत किये। अभिनिर्धारित--- क्या पहले से पत्रावली पर माेजूद और अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्री यह सिद्व करेगी कि अभियोग एक विचारण का विषय है। उच्च न्यायालय द्वारा कायर्वाही को अपास्त करना उचित नही था।

आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1968- आंध्र प्रदेश निषेध अधिनियम, 1995

उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका में प्रत्यर्थीगण के विरूद्व आंध्रप्रदेश आबकारी अधिनियम तथा आंध्रप्रदेश निषेध अधिनियम के तहत प्रारम्भ की गयी कार्यवाही को अपास्त कर दिया और यह अभिनिर्धारित करते हुए टैंकर ओर शीरा को निर्मुक्त कर दिया कि पत्रावली पर ऐसी कोई सामग्री दर्शित नहीं होती है जो जब्तशुदा

सामग्री को अवैध शराब के विनिर्माण के उपयोग में लिये जाने को आशय दर्शित करती थी।

न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया किः-

उच्च न्यायालय का सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करना उचित नही था। वाहन के चालक का बयान तथा पंचनामा यह दर्शित करता है कि प्रत्यर्थीगण के विरूद्घ कायर्वाही प्रारंभ करने हेतु कुछ सामग्री मौजूद थी। यह एक ऐसा मामला नहीं कहा जा सकता है जहां अपराध का किया जाना दर्शित नही होता हो। क्या पहले से पत्रावली पर माेजूद और अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्री यह सिद्व करेगी कि अभियोग एक विचारण का विषय है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रारम्भ की गयी कायर्वाही को विधि के विरूद्व मानने में त्रृटि की है। वाहन और जब्त वस्तुओं को छोड़ने के निर्देश को स्थापित नही रखा जा सकता है। कायर्वाही पुनः प्रारम्भ होगी ओर विधिनुसार जारी रहेगी। [1004-बी-सी, ई-एच; 1005-ए]

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलोकोंडा लिंगा स्वामी व अन्य (2004) ए.आई.आर. एससीडब्ल्यू 4329, का अनुसरण किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1182/2003

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. 19006/2002 में निर्णय और आदेश दिनांक 25.11.2002 से।

श्रीमती डी. भारती रेड्डी-- अपीलार्थीगण की ओर से

के.के. मणी -- प्रतिवादीगण की ओर से

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया-

अरिजीत पसायत, जे.: आंध्र प्रदेश राज्य ने रेस्पोडेंट द्वारा दायर रिट याचिका को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार करने वाले निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। आक्षेपित निर्णय के अनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि पारगमन के दौरान शीरा के साथ जप्त किये टैंकर के आधार पर प्रत्यर्थीगण के विरूद्व प्रारम्भ की गयी कार्यवाही और उसी आधार पर अभिहरण बिना किसी विधिक प्राधिकार के है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि यह दर्शित करने वाली कोई सामग्री नहीं है कि जब्त की गई वस्तुओं का उपयोग परिशोधित स्पिरिट के निर्माण के लिए किया जाना आशायित था।

अपील के समर्थन में, आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से त्रृटिपूर्ण है। यह ऐसा मामला नहीं था जहां कथित अपराध के घटित होने को दर्शित होने वाली कोई सामग्री मौजूद नहीं थी। दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। क्या पहले से ही पर्याप्त सामग्री अस्तित्व में थी या उसको अन्वेषण के दौरान एकत्रित किया जा सकता था और उनकी प्रासंगिकता अनिवार्य रूप से परीक्षण का विषय है।

इसके विपरीत, अभियुक्त-रेस्पोडेंट्स के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि केवल शंका और अनुमानों के आधार पर कि परिवहन किए जा रहे शीरे का उपयोग अवैध आसवित शराब के निर्माण के उद्देश्य से किया जायेगा। संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं हो सकता, जिससे निर्दोष ट्रांसपोर्टर को अनावश्यक रूप से परेशान किया जावे। उनके द्वारा आगे भी यह इंगित किया कि उच्च न्यायालय ने मात्र टैंकर और शीरे को निर्मुक्त करने का निर्देश दिया है और आपराधिक कार्यवाही को अपास्त नहीं किया है।

इसी तरह का प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचार हेतु आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलोकोंडा लिंगा स्वामी व अन्य, (2004) ए.आई.आर. एससीडब्ल्यू 4329 में कई मामलों में विचार के लिए आया था। उन मामलों में दर्ज की गई प्राथमिकियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करके रद्द कर दिया गया था। इस अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त कर दिया था। वर्तमान मामले में, मामलों के उपरोक्त समूह की तरह, वाहन के चालक के बयान और पंचनामा से पता चलता है कि प्रत्यर्थीगण के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये कुछ सामग्री मोजूद थी। निश्चित रूप से, अभियुक्त को अपराध में लिप्त करने के लिये सामग्री की स्वीकायर्ता विचारण का विषय है। इस मामले को एेसा मामला नही कहा जा सकता है कि जिसमें अपराध के घटित होने का तथ्य दर्शित नही होता हो।

प्रत्यर्थीगण अभियुक्त् के विद्वान अधिवक्ता का रुख यह था कि रिट याचिका में वाहन की निर्मुक्ति के लिये प्रार्थना थी और जप्त शुदा वाहन अनरक्षणीय नही था। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया है कि प्रार्थना पूरी कार्यवाही को अपास्त करने और जब्त किए गए टैंकर और वस्तुओं को छोड़ने के लिए थी। आक्षेपित निर्णय के द्वारा , उच्च अदालत ने पूरी कार्यवाही को अपास्त कर दिया है और उसके परिणामस्वूप जप्त किये गये टेंकर और शीरा को निर्मुक्त करने के आदेश पारित किये है। उच्च न्यायालय के आदेश का क्रियात्मक भाग इस प्रकार है कि-

> "इसको दृष्टिगत रखते हुये, प्रत्यर्थीगण- अधिकारीगण द्वारा प्रारम्भ की गयी सम्पूर्ण कायर्वाही जिसमें पारगमन के दौरान टेंकर के साथ शीरा बरामदगी की कायर्वाही और उसका अभिहरण बिना किसी विधिक प्राधिकार के की गयी है और तदनुसार उसको अपास्त किया जाता है। परिणामतः, प्रत्यर्थीगण को टैंकर के साथ-साथ शीरे को

छोड़ने का निर्देश दिया जाता है, जिसे एस. एच. ओ. ज़हीराबाद द्वारा पंजीकरण सीआर. नंबर 132/2002-2003 के दिनांक 30-08-2002 को जप्त किया गया था।"

चूंकि कार्यवाही को विधि के प्राधिकार के बिना अभिनिर्धारित किया गया था, परिमाणस्वरूप रिहाई का निर्देश दिया गया था। निर्मुक्त किये जाने का अन्य कोई कारण नहीं दिया गया था।

अतः सम्पूर्ण कार्यवाही को उच्च न्यायायल द्वारा रद्व किया जाना उचित नही था। इस कारण, टैंकर को तथा अन्य जप्त शुदा सामग्री को निर्मुक्त करने का आदेश संवहनीय नही रह सकता है। कायर्वाही पुनः प्रारम्भ होगी और विधिनुसार नियमित रहेगी। क्या पहले से ही रिकॉर्ड में माैजूद और जांच के दौरान एकत्र की जाने वाली सामग्री से आरोप साबित होगा या नहीं, यह परीक्षण का विषय है।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रक व गुड की रिहाई के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया जाएगा। यदि ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो उस पर विधिनुसार विचार किया जाएगा।

अपील स्वीकार की जाती है।

आर.पी.

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नवीन कुमार चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।